बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

दिनांक–29.12.2025 को साप्ताहिक समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

दिनांक–22.12.2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवाही का अनुपालन एवं सभी मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के लिए निर्धारित उद्व्यय, अद्यतन आवंटन तथा व्यय स्थिति की समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में निम्नांकित निदेश दिये गये :–

2. योजनाओं में प्रयुक्त कार्यरत मशीनरी एवं मानवबल की आवश्यकता एवं उपलब्धता की समीक्षा के क्रम में योजनाओं के क्रियान्वयन में संलग्न Key Personel (प्रोजेक्ट मैनेजर/साईट इंजीनियर) की विवरणी (नाम, दुरभाष सं0, बायोडाटा इत्यादि) की समीक्षा संबंधित मुख्य अभियंता को करने का निदेश दिया गया। इस संबंध में यह स्पष्ट निदेश दिया गया कि अगर योजना स्थल पर Key Personel योजना के एकरारनामा के अनुसार में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता अथवा कार्यानुभव के अनुरूप नहीं है, तो उसे शून्य मानते हुए संबंधित Engineer in Charge (कार्यपालक अभियंता) द्वारा संवेदक से कारण पृच्छा की जाय। तद्नुसार MIS पर प्रोजेक्ट मैनेजर/साईट इंजीनियर की उपलब्धता की Reporting की जाए। कार्यस्थल पर निर्धारित मापदंड के अनुरूप उपस्थिति सुनिश्चित करने का सभी मुख्य अभियंता को पुनः निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता,
योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़, पटना)

3. FMP और RMBA के प्रस्तावित योजनाओं में प्राप्त भारत सरकार के Comments के आलोक में सभी योजनाओं को चिन्हित कर RCD/RWD को प्रस्तावित करने तथा प्रस्तावित Master plan की समीक्षा हेतु संचिका उपस्थापित करने का पुनः निदेश दिया गया। इसकी समीक्षा के क्रम में यह सूचित किया गया कि इस संबंध में अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(कार्रवाई–अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़, पटना)

4. विभागीय Indent-discharge Portal की समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि Portal का Trial Run प्रक्रिया में है तथा कतिपय मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र के कनीय अभियंताओं द्वारा Trial किया जा रहा है, समीक्षा के क्रम में सभी मुख्य अभियंताओं को अपने–अपने प्रक्षेत्राधीन सभी नहर प्रणालियों को Trial Run में सम्मिलित कर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता (सिंचाई प्रक्षेत्र)/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/सिंचाई/ संयुक्त निदेशक, FMISC/ कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, पटना)

5. सभी मुख्य अभियंता को प्रगति यात्रा 2025 में घोषित योजनाओं के Milestones की समीक्षा करते हुए समीक्षा प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराने तथा इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई–अधीक्षण अभियंता,योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़, पटना)

6. मुख्य अभियंता, भागलपुर को चंदन डैम के खराब गेटों की मरम्मति वर्तमान रब्बी सिंचाई अवधि के पश्चात् कराना सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, भागलपुर/
मुख्य अभियंता, यांत्रिक, जल संसाधन विभाग, बिहार)

7. सभी मुख्य अभियंता को उनके परिक्षेत्राधीन वैसी योजनाऐं जिसमें विद्युत पोलो के कारण कार्य बाधित है, को Prioritise कर स्थिति संबंधी प्रतिवेदन दिनांक-29.12.2025 तक उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया। साथ ही सभी मुख्य अभियंता को Pole Shifting से संबंधित किये जा रहे कार्रवाई/ प्रगति का योजनावार संक्षिप्त विवरणी तैयार कर प्रतिवेदन आगामी बैठक में उपस्थापित करने का भी निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/बाढ़, पटना)

8. DRISHTI APP में योजनाओं के निरीक्षण के क्रम में अपलोड किये गये Photographs एवं प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु दिये गये निदेश के अनुपालन में समीक्षोपरान्त Analytical Report तैयार कर उपस्थापन का पुनः निदेश दिया गया। साथ ही मुख्य अभियंताओं के स्थल निरीक्षण के क्रम में अपलोड किये गये Photographs को संबंधित अभियंता प्रमुख तथा अधीक्षण अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा अपलोड किये गये Photographs को संबंधित मोनिटरिंग अंचल के द्वारा समीक्षा कर समीक्षोपरान्त Analytical Report प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया। इस क्रम में निर्धारित प्रपत्र में भी आवश्यक सुधार करने एवं इस प्रक्रिया में अंक निर्धारित कर तैयार करने हेतु परामर्शी श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर को निदेशित किया गया।

(कार्रवाई- अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-2/3/बाढ़/ संबंधित कार्यपालक अभियंता/ संबंधित सहायक अभियंता, पटना)

9. पुनपुन बराज योजना का तैयार किये गये नये विस्तृत योजना प्रतिवेदन (DPR) में EC की आवश्यकता की समीक्षा के क्रम में सूचित किया गया कि चुंकि इस योजना में Culturable Command Area (CCA) में वृद्धि हो रही है, इस योजना के लिए नये सिरे से Environment Clearance की प्रक्रिया की जानी आवश्यक है। इस संबंध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- परामर्शी श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर/मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3)

10. विभागान्तर्गत वैसी योजनायें जो पूर्ण है तथा Close किया जाना है कि संबंधित कार्रवाई की समीक्षा के क्रम में सभी मुख्य अभियंताओं को योजनाओं की विवरणी एवं संख्या उपलब्ध करने एवं अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, यो० एवं मो० अंचल-2/3/बाढ, पटना)

11. (क) दुर्गावती जलाशय योजना के वर्ष 2024-25 का AUDITED Expenditure Report महालेखाकार द्वारा दिनांक-05.01.2026 तक दिये जाने की सूचना दी गई।

(ख) बैठक में North Koel परियोजना के उपयोगिता प्रमाण पत्र (UC) दिनांक-29.12.2025 तक प्राप्त होने की सूचना दी गई। साथ ही मुख्य अभियंता, गया एवं औरंगाबाद को भू-अधिग्रहण पर किये गये व्यय का UC संबंधित जिला पदाधिकारी से प्राप्त करने का निदेश दिया गया, जिससे इस योजना के शेष Mother Sanction प्राप्त करने की कार्रवाई की जा सके।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, औरंगाबाद/ गया/निदेशक, वाल्मी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-3/4/ स्थानिक अभियंता, नई दिल्ली)

12. MCAD योजना की DDR की समीक्षा के क्रम में संबंधित मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/ सिवान को DDR में पम्प हाउस के साथ कार्यालय के प्रावधान को सम्मिलित करने का निदेश दिया गया तथा साथ ही WUA के रूप में जीविका के लोगों को सम्मिलित करने हेतु बैठक पश्चात् ही WUA निबंधन की कार्रवाई करने तथा इसमें विस्तृत निदेश अलग से निर्गत किये जाने का निर्णय लिया गया।

(कार्रवाई- अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/मुख्य अभियंता, मोतिहारी/ सिवान/ अधीक्षण अभियंता, कैड, पटना)

13. विधि पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान सप्ताह में कुल 20 विभिन्न प्रकार के वाद विभाग के विरुद्ध दायर किया गया है। वर्तमान सप्ताह में कुल 06 वाद माननीय न्यायालय द्वारा निष्पादित किया गया है। जिसमें से 02 वाद सी0डब्लू0जे0सी0 में न्यायनिर्णय वादी के पक्ष में पारित हुआ है, जो मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र दरभंगा (विभागीय प्रशाखा-03) एवं मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र औरंगाबाद (विभागीय प्रशाखा-04) से संबंधित है। उक्त के अतिरिक्त एक LPA, जो विभागीय प्रशाखा-24 से संबंधित है, माननीय न्यायालय द्वारा Dismiss कर दिया गया है।

विभाग के विरूद्ध पारित न्यायनिर्णयों के विरूद्ध अपिल दायर करने हेतु यथाशीघ्र निर्णय लेने के लिए निदेशित किया गया।

वर्तमान सप्ताह में निर्धारित मानकानुसार विभिन्न प्रकार के कुल 73 वादों प्रतिशपथ-पत्र/ कारण पृच्छा दायर किया जाना लंबित है, जिसमें से 01 वाद मंतव्य हेतु प्रेषित है, 29 वाद नयें है, 29 वाद मुख्यालय स्तर से लंबित है। इसके अतिरिक्त 14 वाद मुख्य अभियंता स्तर पर लंबित है।

मुख्य अभियंता स्तर पर लंबित 14 वादों में से 03 एम0जे0सी0 एवं 03 सी0डब्लू0जे0सी0 46 से 60 दिनों में लंबित की श्रेणी में है। उक्त के अतिरिक्त 08 सी0डब्लू0जे0सी0 का मामला 60 दिनों से अधिक अवधि से लंबित श्रेणी में अंकित किया गया।

समीक्षा के दौरान 02 सी0डब्लू0जे0सी0 में प्रतिशपथ पत्र दायर करने की सूचना मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर एवं सिवान द्वारा दिया गया एवं 01 अदद् अन्य वाद के संबंध में मुख्य अभियंता, मुजफ्फरपुर द्वारा सूचित किया गया कि सी0डब्लू0जे0सी0 का तथ्यकथन विवरणी विभागीय प्रशाखा-29 को प्रेषित कर दिया गया है।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, दरभंगा/ औरंगाबाद/ अवर सचिव, प्रशाखा-24/29)

14. प्रस्तावित बराज निर्माण से संबंधित तैयार किये जा रहे योजनाओं के विस्तृत योजना प्रतिवेदन के क्रम में बराज के स्थल निरीक्षण कर मंतव्य समर्पित करने के निदेश के क्रम में मुख्य अभियंता, मोतिहारी/सहरसा द्वारा सूचित किया गया कि WAPCOS के साथ बराज निर्माण के Alignment/ स्थल निरीक्षण कर मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराया जा रहा है।

इस संबंध में मुख्य अभियंता, सहरसा एवं दरभंगा को मंतव्य प्रतिवेदन शीघ्र उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, समग्र योजना अन्वेषण एवं योजना आयोजन, पटना/ मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, मोतिहारी/सहरसा/दरभंगा एवं DPRMC, पटना)

15. पूर्वी कोशी नहर प्रणाली (ERM) की तैयार किये जा रहे DPR की समीक्षा के क्रम में यह सूचित किया गया कि CWC के Guideline के अनुरूप सभी नहर प्रणालियों को समावेशित करते हुए DPR तैयार करने का कार्य प्रगति में है।

इसकी समीक्षा साप्ताहिक रूप से करने तथा विस्तृत योजना प्रतिवेदन निर्धारित अवधि दिनांक-09.01.2026 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने का पुनः निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, सहरसा/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2, पटना)

16. बैठक में मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में प्रत्येक माह की 26 तारीख को निर्धारित समीक्षात्मक बैठक के पूर्व PMG Portal पर प्रविष्ट योजनाओं के लंबित मामलों की समीक्षा उपरांत संबंधित मोनिटरिंग अंचल को Portal पर Raise किये गये Issues को Forward करने हेतु सहमति प्राप्त कर इसे योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-1 को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई- अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल-2/3/4/बाढ़)

17. बाढ़ प्रक्षेत्राधीन राज्य के पूर्व में कराये गये नदियों के सर्वेक्षण कार्य की समीक्षा के क्रम में संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना सूचित किया गया कि आवश्यक आँकड़ा को विहित प्रपत्र में प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है। प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् River Atlas तैयार करने की अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– संयुक्त निदेशक, बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायक केन्द्र, अनिसाबाद, पटना)

18. सभी मुख्य अभियंताओं को वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही सभी योजनाओं में पर्याप्त मात्रा में मशीनरी, निर्माण सामाग्री एवं मानवबल की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा योजना के क्रियान्वयन में नये Reach को चिन्हित कर कार्य कराने एवं इसमें तेजी लाने का निदेश दिया गया। कार्य के प्रति उदासीन संवेदकों को चिन्हित कर उनके विरूद्ध स्पष्टीकरण एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, पटना)

19. पश्चिमी कोसी परियोजना अंतर्गत पर्यावरण स्वीकृति संबंधित प्रतिवेदन अगले बैठक में उपस्थापित करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2, पटना)

20. सभी मुख्य अभियंतओं को परिक्षेत्राधीन नहरों एवं नदियों के तटबंधों की सतत् निगरानी करने तथा अधीनस्थ द्वारा किये जा रहे निगरानी की समीक्षा करने का निदेश दिया गया। DRISHTI APP पर अपलोड किये जा रहे निरीक्षण प्रतिवेदन का भी अनुश्रवण करने हेतु संबंधित मोनिटरिंग अंचल को निदेश दिया गया। इस क्रम में वर्तमान में तटबंधों/नहरों पर उग आये झाड़ियों की कटाई इत्यादि का कार्य हेतु आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–2/3/बाढ़)

21. मुख्य अभियंता, यांत्रिक को विभाग अंतर्गत अवस्थित सभी बराजों/बाँधो के निरीक्षणोपरांत विभाग अंतर्गत वीयर के गेटों के संचालन का सप्ताहिक निरीक्षण कर रिर्पोट तैयार करने का निदेश दिया गया।

(कार्रवाई– मुख्य अभियंता, यांत्रिक, पटना)

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

ह0/–
(संतोष कुमार मल्ल)
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार/विकास आयुक्त, बिहार को सादर सूचनार्थ।

ह0/–
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 पटना, दिनांक–........................

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

ह0/–
प्रधान सचिव,
जल संसाधन विभाग, बिहार

पत्रांक–1/PMC/योजना/20/2024 -07 पटना, दिनांक–05/01/2026

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित।

05/01/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 07 पटना, दिनांक–05/01/2026

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/ सिंचाई सृजन/ बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

05/01/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक–1/PMC/योजना/20/2024 07 पटना, दिनांक–05/01/2026

प्रतिलिपि :– श्री मनोज रमण, तकनीकी परामर्शी/ अपर सचिव/ संयुक्त सचिव/ सभी मुख्य अभियंता/ श्री रवीन्द्र कुमार शंकर, नीतिगत मामलों के सलाहकार/श्री ईश्वर चन्द्र ठाकुर, अध्यक्ष, वाल्मी शासी पर्षद के परामर्शी/संयुक्त सचिव, अभियंत्रण/संयुक्त सचिव, प्रबंधन/प्रधान सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/ अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2/3/4/बाढ़/सिंचाई/ स्थानिक अभियंता, सम्पर्क कार्यालय, नई दिल्ली/ सभी कार्यपालक अभियंता/ सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

05/1/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार

ज्ञापांक– 1/PMC/योजना/20/2024 07 पटना, दिनांक–05/01/2026

प्रतिलिपि :– कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को संबंधितों को ई–मेल करने एवं बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05/1/26

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, बिहार